

पाकस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को 10 साल की जेल

चर्चा में क्यों?

पाकस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को उच्च प्रोफाइल पनामा पेपर्स घोटाले में भ्रष्टाचार के एक मामले में 10 साल की सज़ा सुनाई है।

प्रमुख बिंदु

- दरअसल यह सज़ा उन्हें अपने परिवार के लिये लंदन में फ्लैटों की खरीद से संबंधित एवेनफील्ड भ्रष्टाचार के मामले में सुनाई गई है।
- इसके अलावा उनकी बेटी मरियम नवाज़ को सात साल तथा दामाद कैप्टन (सेवानवृत्त) सफदर को एक साल की सज़ा सुनाई गई है।
- साथ ही नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरियम पर क्रमशः 8 मिलियन पाउंड (10 मिलियन अमेकी डॉलर) तथा 2 मिलियन पाउंड (2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना भी लगाया गया है।
- ध्यातव्य है कि पनामा पेपर्स घोटाले के आधार पर पाकस्तान के वफ़िक्शी नेता इमरान खान द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान लगाए गए आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में शरीफ को प्रधानमंत्री के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था।

एवेनफील्ड भ्रष्टाचार प्रकरण (Avenfield Corruption Case)

- एवेनफील्ड मामला नवाज़ शरीफ और उनके परिजनों के खिलाफ राष्ट्रीय उत्तरदायित्व ब्यूरो (NAB) द्वारा दायर तीन भ्रष्टाचार के मामलों में से एक था।
- यह मामला लंदन में पॉश एवेनफील्ड हाउस में चार फ्लैटों (एवेनफील्ड हाउस, पार्क लेन, लंदन में फ्लैट संख्या-16, 16-ए, 17 और 17-ए) की खरीद से संबंधित है।
- अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि नवाज़ शरीफ के परिवार ने अवैध स्रोतों के माध्यम से फ्लैट प्राप्त किये हैं।
- हालाँकि इस फ़ैसले की घोषणा नवाज़ शरीफ की अनुपस्थिति में हुई थी, क्योंकि वे लंदन में अपनी पत्नी कुलसुम नवाज़ के गले के कैंसर संबंधी नदान के लिये उनके साथ थे।
- परिणामस्वरूप 25 जुलाई को पाकस्तान में आयोजित होने वाले आम चुनावों के लिये नवाज़ शरीफ को पीएमएल-एन की तरफ से उम्मीदवारी हेतु अयोग्य घोषित कर दिया गया है।